



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2020 ई0 (भाद्रपद 07, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम रुड़की, जिला-हरिद्वार

नगर निगम, रुड़की-प्रस्तावित उपविधि

17 जुलाई, 2020 ई0

पत्रांक 2085/प्रकाशन/स्वा0अनु0/न0नि0रू0/2020-21-- नगर निगम की अधिनियम की धारा ५४१(१)(४२) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (१९८६ का २९)) की धारा ३, ६ एवं २५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली-२०१६ के नियम १५(ड), १५(च) एवं १५(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर निगम रुड़की द्वारा बनाये गये निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिये उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रशासक/जिलाधिकारी हरिद्वार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया एवं आपति एवं सुझाव हेतु जनमानस के समक्ष आपति/सुझाव हेतु प्राप्त किया जा रहा है, सर्वसाधारण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आपति/सुझाव इस प्रस्तावित उपविधि के दैनिक समाचार पत्र (प्रकाशित होने)/नोटिस बोर्ड पर चस्पा होने के ३० दिन के अंतर्गत नगर निगम, रुड़की में दाखिल कर सकते हैं।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि:-

- (1) ये उप-नियम नगर निगम, रुड़की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, २०१९ कहलायेंगे।
- (2) ये उप-नियम नगर निगम, रुड़की के सरकारी गजट उत्तराखण्ड से प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

244

2. ये उप-नियम नगर निगम, रुडकी की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं -

1. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप-नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं : -

क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ है, उद्यानो बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन भूसा, खपरतवार, काबर्नायुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कच्चा पेड़ों की कटिंग टहनिया, लकड़ी की कतरन भूसा सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन" का अर्थ ठोस कचरा प्रबंधन नियम, २०१६ जिसे बाद में यहां एस.डब्ल्यू.एम.नियम कहा जायेगा) के नियम ३(१)(८) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

ग) "संग्रह" का अर्थ है कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिन्दुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना

घ) समक्ष प्राधिकारी का अर्थ है कि नगर निगम रुडकी का महापौर अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

ङ) निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, २०१६ नियम ३(१)(ग) में परिभाषित किया गया है।

च) स्वच्छ क्षेत्र का अर्थ है किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाद तक विस्तारित स्वच्छ, सार्वजनिक स्थल जिसमें नाली फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रखरखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना है।

छ) सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव) का अर्थ है, नगर निगम रुडकी द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या एक से परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथकीकृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिये स्थापित और संचालित कोई संग्रह केन्द्र।

ज) कंटेनराइज्ड हैड कार्ट का अर्थ है ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम रुडकी या उसके द्वारा नियुक्त एजेन्सी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

झ) सुपुर्दगी-का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम रुडकी के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिये नगर निगम रुडकी द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर निगम रुडकी या

नगर निगम रुडकी द्वारा अधिकृत लाईसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किये गये वाहन में डालाना।

- ज) ई-कचरा का अर्थ वही होगा जो ई-कचरा (प्रबन्धन नियम) ,2016 के नियम 3(1)आर में निर्दिष्ट किया गया है
- ट) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन जिनका डिजाइन बिखरे हुए कचरे को ठोस कम्पैक्ट करने के लिये किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है
- ठ) कूड़ा-कचरा का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जन्तु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो
- ड) गन्दगी फैलाने का अर्थ है , किसी ऐसी बस्ती में गन्दगी उत्सर्जित करना , डालना , दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना ,जहां वह गिरती, ढलती, बहती ,धुलकर रिसकर अथवा गन्दगी के उत्सर्जित होने बहकर आने धुलकर आने या किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो
- ढ) स्वामी का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारी का इस्तेमाल करता हो।
- ण) अधिभोगी/पट्टेदार का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन उसके किसी हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिये किसी भूमि या किसी भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है
- (प) पैलेटाइजेशन का अर्थ है, एक प्रक्रिया जिसमें पैलेट तैयार की जाती है जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं, और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराईब्ड ईंधन कहा जाता है
- (फ) निर्धारित का अर्थ है कि, एसडब्ल्यूएम नियमों और/या इन उपनियमों द्वारा निर्धारित
- (ब) सार्वजनिक स्थल का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिये सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा है या नहीं

- त) संग्रह का अर्थ- ठोस कचरे को अस्थाई तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गन्दगी न फैले और मच्छर आदि कीटों आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके।
- थ) सैनेटरी वर्कर-का अर्थ हैं, नगर निगम के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर निगम रूडकी/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति
- द) शेड्यूल का अर्थ, इन उपनियमों के सम्बद्ध शेड्यूल
- ध) इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी, का अर्थ है, नगर निगम, रूडकी द्वारा समय-समय पर प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिये कचरा उत्सर्जक पर लगाया जा सके शुल्क या प्रभारी, ताकि ठोस कचरा संग्रह दुलाई प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके
- न) खाली प्लॉट-का अर्थ है, प्राईवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी के सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो
- (२). यहा प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो कच्चा प्रबंधन नियम-२०१६ और निर्माण एवं विध्वंश कचरा प्रबंधन नियम-२०१६ में अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथकीकरण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

प) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करें और संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित ०३ वर्गों में किया जायेगा।

क.- गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

ख.- जैव अपघटीय या गीला कचरा

ग.- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी नगर निगम रूडकी के निर्देशों के अनुसार पृथकीकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

पप- प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिये अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करें और उसे संगृहीत करें निम्नांकित ०३ वर्गों में -

क. गैर जैव अपघटीय या खुश्क कचरा



ख जैव अपघटीय या गीला कचरा

ग. उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक गीला कचरो को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केन्द्रों या संग्रहण केन्द्रों को सौंपेगा और उसके लिए नगर निगम रूडकी द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्को को भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी नगर निगम रूडकी को भुगतान करेगा।

पपप)- पृथक किये गये कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा -

हरा- जैव अपघटीय कचरे के लिए

नीला- गैर जैव अपघटीय कचरे या खुशक कचरे के लिए

काला- घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

पअ) सभी निवासी और कल्याण बाजार संगठन, नगर निगम रूडकी के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जको द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाए जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव के भीतर ही किया जायेगा। इससे बचे कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

अ- 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबन्द समुदाय तथा संस्थान नगर निगम रूडकी की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जको द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे। और पुन उपयोग में आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुन इस्तेमाल करने वालों को सौंपेगा। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जायेगा

अप)- सभी होटल और रेस्त्रां, नगर निगम रूडकी के भागीदारी से, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किये गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुन इस्तेमाल करने वालों को सौंपेगा जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

अपप-कोई व्यक्ति गैर लाइसेन्सी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जिसमें १०० से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित

इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम रुडकी को कम से कम ०३ कार्यदिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए ताकि नगर निगम रुडकी द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

अपप)- सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओं या ब्राण्ड मालिकों द्वारा प्रदान किये गये पाउचो अथवा अखबारों का उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीक से संलेपित किया जाए और उसे गैर जैव अपघटीय या खुरक कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

पग)- प्रत्येक खाली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री निपटान योग्य प्लेटें कप डिब्बे पैपर्स नारियल के खोल बचा कुचा भोजन सब्जियां फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहीत करेगा और उसे नगर निगम रुडकी द्वारा अधिसूचित डिपो या कन्टेनर या वाहन को सौंपेगा।

ग)- उद्यान या बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर निगम रुडकी के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

गप)- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जायेगा और उसे नगर निगम रुडकी या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार सर प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक एक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केन्द्र तक पहुंचाया जाएगा।

गपप)- निर्माण कार्य और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबन्धन नियम-२०१६ के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।

गपपप)- बायो मेडिकल कचरा, ई कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए गए ठोस कचरे में निर्मित नहीं किया जायेगा ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-१९८६ के अन्तर्गत बनाए गए तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

गपअ)- निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/सब्जीधारी जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पौल्ट्री मच्छली और पशुवध सम्बन्धी कचरा उत्सर्जित करते हों ऐसे कचरे को अलग से बन्द कन्टेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम रुडकी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

गअ)- पृथक किये गये जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी

नगर निगम रूडकी के श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जको के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा-

प- नगर निगम रूडकी के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस.डब्ल्यू.एम. नियमों का अनुपालन किया जायेगा, जिनके अनुसार मालिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से दैनिक कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर निगम रूडकी संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

पप- प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम रूडकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 06 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा व्यापारिक प्रतिष्ठानों वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जको से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 07 बजे से दोहपर 12 बजे तक होगा अथवा नगर निगम रूडकी द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

पपप-कचरे को स्व-प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जको से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबन्ध किए जाएंगे।

अप-सब्जी फल फूल मांस पोल्ट्री और मच्छली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

अ- बागवानी और उद्यान सम्बन्धी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जायेगा। इस प्रायोजन के लिये सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अप- फलों और सब्जी बाजारों मांस और मच्छली बाजारों बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा जिसमें वह उत्सर्जित होता है



(अपप)- कन्टेनरो मे कचरे का हाथ से परिचलन निषेध है। यदि दबावो के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिको की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ सुनिश्चित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप)-कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर निगम रूडकी द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर/रिक्शा आदिन वाहनो मे डालने के लिय जिम्मेदार होंगे। बहुमन्जिला इमारतो, अपार्टमेन्टो, आवास,परिसरो (इन उपनियमो के खण्ड 4 व उप-खण्ड (पअ व अ) के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरो के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

पग)-कचरा संग्रह उपकरणो और वाहनो के चयन के लिए बदलती जरूरतो और प्रौद्योगिकी मे नयी खोजो को ध्यान मे रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष-क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे। जो उपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे। और उनमे जैव अपघटीय और गैर जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेन्ट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

ग)-स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घण्टी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हार्न भी कचरा संग्रह वाहन मे कचरा संग्रहकर्ताओ द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

गप)-प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर निगम रूडकी द्वारा अधिसूचित अधिकृत संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र मे होगी। जो नगर निगम रूडकी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमे प्रारम्भिक बिन्दु प्रारम्भ करने का समय प्रतिक्षा स्थलो मार्ग मे रुकने का समय अन्तिम बिन्दु और निर्दिष्ट मार्ग के अन्तिम समय का उल्लेख होगा नगर निगम रूडकी अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली मे एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनो की समय सारणी पर प्रदर्शित की जायेगी। ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसी जानकारी नगर निगम रूडकी की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

गपप)-तंग गलियो मे जहां ऑटो-टिप्पर या वाहन की सेवाएं सम्भव न हो वहां एक शीव्हीलर अथवा छोटे मोटर युक्त वाहन/साईकिल रिक्सा का काम पर लगाया जाएगा जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमे गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कम्पार्टमेन्ट होंगे ऐसे वाहनो मे हूटर लगा होगा और वे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होंगे।

गपपप)- अत्यन्त भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियो वाले क्षेत्रो मे जहां शीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सके वहां साईकिल रिक्सा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे



गपअ-ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियो/लेनो में जहाँ थ्रीव्हीलर/रिक्षा आदि का संचालन सम्भव न हो ऐसे स्थानों पर बस्ती/गलि के छोर पर खास जगह तय की जाएगी जहाँ कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके। और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम रूडकी की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

गअ- ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्षा और सेवा में सलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरो से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थानों, मैदानों, कुड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

गपअ- नगर निगम रूडकी या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनो को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिन्दुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा-

प- घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अन्तल स्थलों या कचरे द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम रूडकी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

पप- ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिन्दुओं को कन्टेनरों को (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनमें निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे।

क- गैर जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

ख- जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

ग- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा

पपप- पृथक किय गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर निगम रूडकी द्वारा चिन्हित अलग अलग कन्टेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जाएगा।

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- गैर: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर निगम रूडकी समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंगबन्हीता और अन्य मानदण्ड अधिसूचित करेगी।

ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

पअ- नगर निगम रूडकी स्वयं अथवा बाहरी एजेन्सियों के जरिये ठोस कचरा संग्रहण केन्द्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा न हो

अ- द्वितीयक संग्रहण डीपुओ में विभिन्न प्रकार के कन्टेनर नगर निगम रूडकी या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेन्सियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे जो इस उपनियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगों के होंगे

अप- संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ?

अपप-संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनके डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे। और संग्रहण किए गए कचरे का खुले वातावरण में दुष्प्रभाव न पड़े।

अपपप- सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबन्द समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उपनियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कन्टेनर रखें ताकि वहाँ हर रोज उत्सर्जित कचरा ढंग से संगृहीत किया जा सके।

पग- नगर निगम रूडकी या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार सभी कूड़ाघरों के धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

ग- सूखे कचरे (गैर-जैव अपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर क-नगर निगम रूडकी अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किये गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करेगा जिनका इस्तेमाल गलियाँ/घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने सम्बन्धी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

ख- गली/घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केन्द्रों को स्थानान्तरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केन्द्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

ग-परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकलिंग योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केन्द्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेन्टों और/या नगर निगम रूडकी से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकलिंग योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार

अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी से प्राप्त धनराशि रखने के हकदार होंगे।

गप- निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केन्द्र -

क- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केन्द्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा, जहां निर्दिष्ट जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

ख-नगर निगम रूडकी अपनी ऐजन्सी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंपा जा सकता है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिम कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

ग-इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केन्द्रों पर अलग से लाया जायेगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर की जायेगी:-

प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलिभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो नगर निगम रूडकी द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।
पप-नगर निगम रूडकी द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कन्टेनरों के आस पास के क्षेत्र को रखा जाएगा।

पपप- आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केन्द्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

पअ- जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।



अ-एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केन्द्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जायेगा।

अप- निर्माण और विध्वंस अन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबन्धन नियम-२०१६ के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

अपप- नगर निगम रूडकी कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई प्रबन्ध करेगा। गलियों को बुहारन से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गयी गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जायेगी।

अपपप- ढुलाई वाहनो का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जायेगा कि अन्तिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचाया जा सके।

पग-कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहाँ कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

ग-यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएँ, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम रूडकी द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

गप-फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

गपप- कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

गपअ-कचरे की गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएँ अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।

(गअ)- इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट आटो-टिप्परो, तिपहिया या अन्य वाहनो/कूड़ादनों से कचरा प्राप्त करेगा।

गअप)- परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे आटो-टिप्परो, तिपहिया वाहनो, रिक्षा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।

गअपप)- एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनो से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर-उधर न फैले।

गअपपप)- ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एफसीटीएस क ईर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिये।

गअग)- नगर निगम रुडकी अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेन्सी सभी द्वितीयक संग्रहण केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8 ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

प)-नगर निगम रुडकी ठोस कचरा प्रोसेसिंग केन्द्रों और ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेन्सी के द्वारा इस कार्य को अन्जाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकी अपनाई जायेगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा:-

क)- दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत् रखने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माईक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्ट, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति:

ख)-केन्द्रीय स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटों के जरिए।

ग)-कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टोक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्राप्त करते हुए।

घ)-निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबन्धन प्लांटों के जरिए।

पप- नगर निगम रुडकी रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल आरडीएफ की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

पपप-कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबन्धों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

पअ-नगर निगम रुडकी सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, काँच, कपड़ा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेन्सियों को भेजा जाए।



9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश-

प) नगर निगम रुड़की सभी निवासी कल्याण संगठनों समूह आवास समितियों बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरियता दी जाएगी।

पप) नगर निगम रुड़की यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी-फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटित कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

पपप) नगर निगम रुड़की यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

पअ) नगर निगम रुड़की कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, समुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परन्तु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर निगम रुड़की अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व और अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-



क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम रुड़की द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट हैं।

ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम रुड़की अथवा मेयर/नगर निगम रुड़की द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

ग) नगर निगम रुड़की इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से ०३ माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

घ) नगर निगम रुड़की ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड:-

क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची ०२ में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।



ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर चैकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची ०२ में दी गई है।

घ) अनुसूची ०२ में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक प्रति वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुमाने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(प) कूड़ा फेकने की पाबंदी

क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना: अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलाना: अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

ग) वाहनों से कूड़ा फेकना: किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेकेगा।

घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना: कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक किसी ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी: कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा

उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे से समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटाने को वरियता दी जाएगी।

घ) नालियों आदि में कचरे का निपटान: कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

पप) कचरे को जलाना: सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सड़क किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

अ) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर निगम रुड़की द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इससे संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर निगम रुड़की की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर निगम रुड़की के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम रुड़की निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

क) नगर निगम रुड़की किसी परिसर के मालिक/अधिभागी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभागी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएँ पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम रूड़की निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है:-

प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:-

क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम रूड़की के अधिकारिक क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्रांड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर निगम रूड़की को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम रूड़की इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

ख) ऐसे सभी ब्रांड मालिकों को जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रांड मालिक या विपणन कंपनियाँ इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनमें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रांड मालिक या विपणन कंपनियाँ अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजन के लिए लोगो को शिक्षित करेंगी।

14. नगर निगम रूडकी के दायित्व:

नगर निगम रूडकी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साड़ा गलियो/गांगे सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कन्टेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बन्द वाहने में अन्तिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा, जिसे लिए नगर निगम रूडकी अपने सफाई स्टाफ और वाहने के अलावा, अनुबन्ध के आधार प्राईवेट पार्टियों के काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम रूडकी सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो (पप) नगर निगम रूडकी अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर निगम रूडकी विकेन्द्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदण्ड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम रूडकी जहां कीह अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ हो, तो वह अनुबन्ध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर निगम रूडकी अद्यतन सड़क/गली क्लनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपर्स अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर निगम रूडकी सूचना, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को

एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें हस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा।

(अपपप) नगर निगम रूड़की कचरा उत्सर्जकों का इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम रूड़की विक्रेदीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(पग) नगर निगम रूड़की स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(ग) नगर निगम रूड़की ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(गप) नगर निगम रूड़की यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर निगम रूड़की कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केन्द्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केन्द्र का प्रभारी अधिकारी पर्यावरण पर्यवेक्षक तत्काल नगर निगम रूड़की को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

गपअ)- नियमित जाँच:- महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई प्रोसेसिंग और निपटाने से सम्बन्धित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उपनियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन कर रहा है।

गअ)- नगर निगम रुडकी अपने मुख्यालय में काल सेन्टर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल एप्लिकेशन अथवा वेब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

गअप)-नगर निगम रुडकी एसडब्ल्यूएम नियमों और उपनियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रौद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कार्यक्रम करेगा। तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

गअपप)-पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच: अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम रुडकी अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा। (गअपप) नगर निगम रुडकी एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं।

अध्याय-10

विविध

15.. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई सन्देह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर निगम रुडकी के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अन्तिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय- नगर निगम रुडकी अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों में सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबन्धन नियम-२०१६ और इन उपनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र०सं०	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जज रुपये में)
1	2	3
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर/परिवार(बी.पी.एल. कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रुपये 10.00, पक्का मकान रु. 30.00
2.	मध्यम आये वाले घर/परिवार (एपीएल कार्ड धारक/10000.00 तक प्रतिमाह आये वाले घर)	रु 60.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर/परिवार	रु 100.00
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी मे रु 10.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फण्ड पर रु 20.00 प्रतिदिन/500 रु(मासिक)
5.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 50.00 रु/प्रतिदिन/1000 रु (मासिक), 01 कि०लो० तक, उससे अधिक पर रु 02.00 प्रति कि०ग्रा० प्रतिदिन अतिरिक्त
6.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 500.00 (20 कि०ग्रा०/प्रतिदिन), मध्यम रु 1000.00(21-50कि०ग्रा०/प्रतिदिन) बड़े रु 2000.00 (51-100कि०ग्रा०/प्रतिदिन) 100 कि०ग्रा०/प्रतिदिन से अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले बिजेंद्र कुमार रेस्टोरेन्ट को Bulk Garbage Genrator की श्रेणी मे रखा जाएगा। उन रेस्टोरेन्ट द्वारा स्वयं के स्तर पर कूड़े का निस्तारण सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा किसी स्थिति मे 1000रु/ट्राली,500रु/प्रति टाटा एस प्रति चक्कर के आधार पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा।

2

1	2	3
7.	होटल/लाजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु1000.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु0 1500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु0 2000.00
8.	धर्मशाला	रु 10 प्रति कमरा प्रतिमाह
9.	बारातघर पार्टी हॉल (चेरिटेबल) बारातघर/पार्टी हॉल (नान-चेरिटेबल)	रु0 500.00 प्रति उत्सव (अधिकतम 01 ट्रेक्टर ट्राली) रु0 1000.00 प्रति उत्सव (अधिकतम 01 ट्रेक्टर ट्राली) इसके अतिरिक्त 400 रु0 प्रति टाटा एस0
10.	बेकरी	रु 500.00
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक रु0 200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 400.00, 101 से 300 कर्मचारियों तक रु0 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु 1000.00
12.	स्कूल शिक्षण/संस्थाएं (आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 2000.00, उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
13.	स्कूल शिक्षण/संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु0 1000.00 उससे अधिक रु 1500.00
14.	होस्पिटल/नर्सिंग होम(बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु 1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 2000.00, उससे अधिक रु 25000.00
15.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लिनिक रु 500.00 पैथोलोजी रु 500.00 (मसिक)
16.	दुकान/चाय की दुकान	मोहल्ले की छोटी दुकान रु 100.00 बाजार की दुकान रु 200.00 शोरूम रु 500.00 छोटे मौल रु 1000.00 बहुमन्जिला मौल रु 2000.00
17.	फैक्ट्री	छोटी रु 800.00 (20कि०ग्रा०/प्रतिदिन तक) मध्यम रु 1000.00(20-50कि०ग्रा०/प्रतिदिन तक) बड़ी रु 2000.00(51-100कि०ग्रा०/प्रतिदिन तक) 100 कि०ग्रा०/प्रतिदिन से अधिक कूड़ा



1	2	3
		उत्पादित करने वाले को बल्क गारबेज जनरेटर की श्रेणी में रखा जाएगा उन फैक्ट्री द्वारा स्वयं स्तर पर कूड़े का निस्तारण सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 1000 रु/ट्राली, 500 रु/टाटा एस प्रति चक्कर क आधार पर यूजर चार्ज वसूला जायेगा।
18.	वर्कशाप	छोटी रु 500.00, बड़ी रु 1000.00
19.	कबाड़ी	छोटी रु 200.00 बड़ी रु 500.00
20.	जूसा/गन्ने का रस विक्रेता	रु 20.00 प्रतिदिन, (500.00 रु मासिक)
21.	सार्वजनिक /निजी स्थलो पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आयोजन जिनमे अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 1000.00 होटलो में, विवाह रु 2000.00 प्रति उत्सव
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धि अपशिष्ट	0.50घन मी० तक रु 200.00, 1.0घन मी० तक रु 400.00, 3.0घन मी० तक रु 1000.00, 6.0घन मी० तक रु 2000.00, इससे अधिक प्रतिघन मी० रु 200.00 अधिक
23.	सिनेमा हॉल	रु 1000.00 प्रतिमाह
24.	सैलून/सौन्दर्य प्रसाधन/बूटिक दर्जी	रु 20 प्रतिदिन/500 रु प्रतिमाह
24.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठान की दुकान की स्थिति के अनुसार	रु 500.00 से रु 5000.00 तक

इस्तेमाकर्ता शुल्क/प्रभार का मांग जारी होने से 30 दिन क भीतर न किये जाने की स्थिति मे इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना(रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों को नियम 4(1)/(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल करना	आवासीय बल्क जनरेटर	200 500
			5000 वर्ग मी0 से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हॉल, फेस्टीवल हॉल, पार्टी लान , प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000 तक
			5000 वर्ग मी0 से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमा घरों , पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टिप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000 रु तक
			5000 मी0 से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर -आवासीय स्थान	500 तक
			फिश, मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	500 तक
	एसडब्ल्यूएम नियमों को नियम 4(2)	1. सड़क/नाली में कूड़ा फेंकना, थूकना 2. नहाना, पेशाब करना, जानवरों को चारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्लंघनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम- 2016 के अन्तर्गत होगी 200 से 5000 रु
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने	आवासीय	200 से 5000 रु



1	2	3	4	5
	नियम 4(1)(ख) और (घ)	मे भी विफल रहना नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना	गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	500 से 5000 रु
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)ग	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	1000
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उत्लघनकर्ता	5000 से 25,000 रु०
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना किसी गैर लाइसेन्सीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की आगीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेन्ट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाली गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ेदान न रखने एवं कूड़े का पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उत्लघनकर्ता	200 से 1000 रु
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, गलियों आदि में गन्दगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	200 से 5000 रु
निम्नांकित उत्लघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जायेगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए.	10,000 तक



1	2	3	4	5
			बाजार एसोसिएशन, संघ	20,000 तक
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबन्द समुदाय संस्थान	10,000 तक 20,000 तक
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल रेस्टोरेन्ट	50,000 तक 20,000 तक
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पाद के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किए बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्राँड आनर/स्वामी	1,00,000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रांड स्वामी और विपणन कम्पनियां	50,000
13.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15(ड.)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उत्लंघनकर्ता, गुप हाऊसिंग सोसाईटी या मार्केट कोम्प्लेक्स आदि	50,000
14.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक कैन, टैटो पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फेंकने पर	उत्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चा लक	200 से 5000 रु तक
15.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर निगम रुडकी की उपविधि को होटल/अतिथिगृह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उत्लंघनकर्ता/होटल/अतिथिगृह स्वामी	1000 तक



1	2	3	4	5
16.		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रदर्शिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमो, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियो के क्षेत्र. एवं आस पास के क्षेत्रो की स्वच्छता सुनिश्चित करने मे विफलता)	आयोजनकर्ता	5000 तक

ह0/- (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम रुड़की।



ह0/- (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम रुड़की।